विचार बिन्दु

आपत्ति मनुष्य बनाती है और संपत्ति राक्षस। –विक्टर ह्यूगो

क्या जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

संविधान निर्माताओं ने संविधान में व्यवस्था दी है कि किसी के साथ जाति, रंग, धर्म के नाम पर भोदभाव नहीं होगा। सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म के अनुसार आराधना, पूजा व उसे मानने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक नागरिक को जीने का मूल अधिकार होगा। संविधान में सामाजिक न्याय को आर्थिक व राजनीतिक न्याय से प्रथम स्थान यानी प्रायोरिटी दी गई थी। दलित के साथ किये गये अन्याय की यह क्षतिपूर्ति का तथा समानता के अधिकार की ओर उठाया हुआ कदम था। यह स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय का संबंध, आर्थिक न्याय से नहीं है। वर्तमान में सामाजिक न्याय के इस अधिकार के कारण पिछड़ों का एक वर्ग इस आरक्षण के कारण अब पिछडे.नहीं रहे वे क्रिमीलेयर आ चुके हैं, यानी आरक्षण से बाहर हो गये। किन्तु यह प्रक्रिया इतनी धीमी रही कि 95% अभी भी पिछड़े ही हैं। आरक्षण आवश्यक था और इसे अब तक पूरा हो जाना चाहिये था; किन्तु आरक्षण की मांग का विस्तार हो रहा है। आरक्षण की मांग जाति, उपजाति में उठाई जा रही है।

जातिगत आरक्षण को लगभग अभी पार्टियों ने बुरा विचार माना है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा जातीय गणना को विभाजनकारी व विध्वंशकारी तथा खतरनाक बता चुकी है; किन्तु वही पार्टी इसका स्वागत कर रही है। कांग्रेस से कहा भाजपा ने उसका विचार ही चुरा लिया है। वस्तुतः यदि आरक्षण के इतिहास को देखा जावे तो हमें कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को समझना होगा। भारत के गृहमंत्री ने कहा है कि यह सच है कि कांग्रेस Anti-Reservation है। कांग्रेस ने कमीशन की रिपोर्ट पर अमल नहीं होने दिया। इस रिपोर्ट में भारत के पहले इस बैकवर्ड कमीशन ने 70% रिजर्वेशन की बात की। यह 1953 की घटना है। इस बाबत राजनैतिक पार्टी के नेताओं में विचारों की भिन्नता है।

इसमें काई शक नहीं है कि देश में कई जगह जातियों के आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं, किन्तु उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। कहते हैं भाजपा के पास आंकडे हैं, किन्तु उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। रोहिणी आयोग भी गठित हुआ किन्तु उसने क्या किया, किसी को पता नहीं है। कोई विश्वास साथ यह नहीं कह सकता कि इस आंकडों की क्या उपादेयता होगी। राहुल गांधी ने आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसके लिये तो संवैधानिक संशोधन लाना होगा। आरक्षण का अर्थ है सरकारी नौकरी परन्तु सरकार के पास क्या नौकरियां हैं? कई प्रकार के विचार वाले लोग इस देश में हैं।

आरक्षण की समस्या का लम्बा इतिहास है। वर्ष 1978 में कपूरी ठाकुर ने बिहार में आर्थिक पिछडेपन के आधार पर आरक्षण की घोषणा की थी, जिसके फलस्वरूप राजनीति में एक तूफान आ गया था। इस पर विचार करने व अनुशंसा देने के हेतु मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों के आधार पर 1971 में जनगणना और जाति आधारित गणना के लिये पिछड़ेपन को अपनाया। उस समय आर्थिक पिछड़ेपन की बात छोड दी गई और उन धर्मों को भी अलग कर दिया था जहां जाति व्यवस्था नहीं थी।

आरक्षण को समझने के लिये हमें विधान निर्मात्री सभा की कमेटी के कार्य को समझना होगा और संविधान के अनुच्छेद 334 को स्वरूप देने के प्रक्रिया का अध्ययन करना होगा। विधान निर्मात्री सभा के चेयरपर्सन बाबा साहब डा.अम्बेडकर थे। संविधान के अनुच्छेद 334 में यह व्यवस्था दी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पार्लियामेंट व असेम्बली की सीटें कैसे निर्धारित की जावेंगी। अनुच्छेद 334 जो 26.01.1950 को संविधान में था उसके अनुसार यह प्रावधान दिनांक 29.01.1960 को स्वतः ही समाप्त हो जाने की व्यवस्था थी। एक प्रकार से यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का भाग था, जिसमें संशोधन नहीं हो सकेगा। आश्चर्य तो इस बात का है कि संविधान के मूल प्रारूप में (ड्राफ्ट) में यह प्रावधान ही नहीं था। बाबा साहब इस प्रावधान के पक्ष में नहीं थे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति ने बाबा साहब से प्रतिवेदन दिया प्रार्थना की, इस पर बडी मिन्नत के बाद यह आरक्षण केवल 10 वर्ष तक के लिये रखा गया जो समयावधि के बाद स्वतः ही Sunset Laws के अनुसार समाप्त होना था। बाबा साहब ने तो यहां तक कहा था, जो संसद की कार्यवाही के रेकार्ड से अभिव्यक्त है कि 10 वर्ष के बाद एक दिन भी नहीं बढ़ेगा। किन्तु दुर्भाग्य है कि संविधान की मर्यादा के प्रतिकूल प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसे 20, 30, 40, 50, 60, 70 व 80 वर्ष संविधान में संशोधन से कर दिया जाता है जो सर्वथा असंवैधानिक है। इस सम्बन्ध में चुनौती देने वाली याचिकायें वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में जेरकार हैं, किन्तु सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में भी याचिका पेश की थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। यदि यह प्रावधान लागू होता तो 1960 के बाद की राजनीति में नया रूप आ जाता।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, स्वीकार करना है तथा जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक सुगम, सरल व मान्य मार्ग ढूंढना होगा।

आरक्षण के विषय में संविधान पीठ के कई निर्णय हुये हैं। इनका सार है कि अनुच्छेद 16(4), (4ए) (4बी), स्वयं में मूल अधिकार नहीं है केवल Enabling (कार्यकारी) प्रावधान है तथा सरकार आजादी के इतने वर्षों के बाद आरक्षण देने को बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में यह व्यवस्था है कि पिछड़ों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है, आरक्षण दे सकती है, किन्तु कौन पिछड़ा है तथा प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है इसके लिये पर्याप्त व प्रमाणिक आंकड़े अति आवश्यक हैं। यदि राज्य पिछड़े वर्गों को नियुक्ति के आरक्षण पर विचार करती है तो प्रत्येक केस में अनिवार्य कारणों से प्रावधान बनाने से पूर्व संख्यात्मक आंकडों से साबित करना होगा कि (1) क्या सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा को तो कोई खतरा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सरकार आरक्षण संबंधित प्रावधान बनाती है या अधिकार का प्रयोग करती है तो उसे शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि (1) किसी भी स्तर पर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा (2) क्रिमीलेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा (3) ओबीसी, एससी एवं एसटी का उपवर्गीकरण यथावत रखना होगा। बैकलॉग नियम 3 वर्ष से अधिक का नहीं होगा (4) चूंकि अनुच्छेद 16(4) (4ए) (4बी) ही प्रवाहित हुये हैं, अतः पदोन्नति में भी आरक्षण के प्रावधान बनाने के लिये वे ही शर्तें लागू करना अनिवार्य होगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्रिमीलेयर का प्रश्न कई बार उठाया गया है और यह सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ है कि जो क्रिमीलेयर के हैं उन्हें अनुसूची से बाहर होना चाहिये। ऐसे लोगों का जस्टिस कृष्णा अय्यर ने क्रिमीलेयर के शब्द से स्टेट ऑफ केरल बनाम एन एम थोमस 1976(2) एससीसी 310 में सम्बोधित किया है। एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 2006 (8) एससीसी 1, यूपी पावर कॉरपोरेशन बनाम राजेशकुमार 2012 (7) एससीसी अशोक कुमार ठाकुर के केस 2008 (6) एससीसी आदि निर्णयों में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। मलाई खाने वाले ये व्यक्ति अब आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। पिछडे जो अब तक भी पूर्ववत पिछडे ही हैं उन्हें सामाजिक न्याय मिलना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय आर्थिक आधार पर भी आरक्षण हो सही माना है। यह आरक्षण सामाजिक पिछडेपन के आरक्षण के अतिरिक्त है। 103वें संविधान संशोधन से 2019 में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिये 10: यह आरक्षण है।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कृष्णा अय्यर के माध्यम से 1981 के निर्णय में यह अपेक्षा की है कि "राज्य की कार्य पद्धति की सफलता इससे आंकी जानी चाहिये कि वह ऐसी व्यवस्था पैदा करे कि अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत आरक्षण की व्यवस्था ही समाप्त हो जावे। यह कोई महान मौलिक अधिकार नहीं है कि कुछ वर्ग शाश्वत रूप से अनन्त काल तक पिछडे ही बने रहें। यह संविधान की मूल भावना के विरूद्ध है।"

इन्द्रा साहनी के केस के बाद कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। राजस्थान में यह आरक्षण 50 प्रतिशत से कम है। सन 1992 से यह स्थिति बनी हुई है, कब तक सुप्रीम कोर्ट इस 50% की सीमा के विषय पर सुनती रहेगा। मुकदमों का अन्त होना चाहिये।

लेखक का अपना मत है कि उपरोक्त निर्णयों में तथा अन्य निर्णयों में माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ जो निर्णय दे चुकी है, उन पर 10 वर्ष तक पुनः विचार नहीं हो। देश का न्याय सस्ता, सरल व सुलभ हो तथा जिसमें स्थायित्व भी हो। क्रिमीलेयर के निर्णय, 50 प्रतिशत की सीमा के निर्णयों पर मोरीटोरियम लगना चाहिये। हाँ जस्टिस जीवन रेड्डी के तथा तीन न्यायाधीशों के निर्णय के अनुसार जहां असाधारण परिस्थितियों हो वहां सीमा पार की जा सकती है; किन्तु वह भी उन लोगों के लिये जो मुख्य धारा से बाहर हैं तथा विपरीत परिस्थिति से घिरे हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार की जो विचार धारा 2001, 2011 व 2020 में जनगणना व जातिगत जनगणना के संबंध में थी उसमें परिवर्तन आया है। जनगणना के साथ जातिगत जनगणना हो इस पर जनसभाओं में विचार मंथन होना चाहिये। जातियों की उपजातियों में जो अति पिछडे हैं जिन्हें अब तक कोई महत्व नहीं मिला है और जो असमानता व पिछडेपन के अभिश्राप से अधिक पीडित हैं, उनके बाबत आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय नीति क्या हो, विचार हो। लोगों को सामाजिक न्याय मिले। ऐसी नीति बनाई जावे कि आने वाले 10 वर्षों में पिछड़ापन समाप्त हो। आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, स्वीकार करना है तथा जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक सुगम, सरल व मान्य मार्ग ढूंढना होगा।

भगवान महावीर ने जगत को संदेश दिया था 'अयातुला प्रया सु' अर्थात् जगत के प्रत्येक प्राणी को अपने समान देखो, जैसा तुम्हारा अस्तित्व है वैसा ही अन्य का भी मानो। यह प्रयास सह अस्तित्व की भावना को जागृत करेगा। हमारे संविधान का भी यही संदेश है।

सबको सन्मति दे भगवान!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता

राजेन्द्र मोहन शर्मा

भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव और युद्धविराम ने दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक जटिलताओं को न केवल क्षेत्रीय, बल्कि वैश्विक मंच पर भी उजागर किया है। यह अल्पकालिक सैन्य टकराव, जिसे "आशंकाओं के साये भी नहीं हुए सीज और आग भी ज्यों कि त्यों" के रूप में देखा जा रहा है, ने भारत की सामरिक और कूटनीतिक परिपक्वता को प्रदर्शित किया, साथ ही पाकिस्तान की आर्थिक-सामरिक कमजोरियों को बेनकाब किया। पहलगाम आतंकी हमले से शुरू हुआ यह घटनाक्रम विभिन्न देशों की रणनीतियों, क्षेत्रीय गतिशीलता, और भारत की आंतरिक राजनीति को रेखांकित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन, शशि थरूर के समर्थन, हाल के सर्वेक्षणों में उभरे जनसमर्थन, और नए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों ने इस संकट में भारत की स्थिति को और मजबूत किया है। लेकिन पाकिस्तान की अविश्वसनीय आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता यथावत है अतः यह कहना कठिन है कि यह युद्ध विराम कब तक बना रहेगा। घटनाक्रम की पृष्ठभूमि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इस हमले में 26 भारतीय नागरिकों की जान गई, भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों, विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर लगातार 11 दिनों तक संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें गोलीबारी और मोर्टार हमलों ने दोनों पक्षों में तनाव को और बढ़ाया।

भारत ने इस आक्रामकता का जवाब देने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जो 2 मई 2025 को अपने चरम पर पहुंचा। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना और थलसेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों, आतंकी अड्डों, और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सात प्रमुख एयरबेस-नूर खान, रहमियार खान, स्कर्दू, मियांवाली, सरगोधा, कामरा, और मुल्तान-को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके अलावा, पाकिस्तान के रडार सिस्टम, हवाई रक्षा प्रणालियां और आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को भी गंभीर क्षति पहुंची। इस कार्रवाई में लगभग 200 लोग मारे गए, जिनमें 100 से अधिक आतंकवादी शामिल थे। पाकिस्तान को अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसने उसकी पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला है। भारत की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति भारत ने इस संकट में सैन्य शक्ति और कूटनीतिक संयम का शानदार संतुलन बनाए रखा।

भारतीय सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी ने 8 मई 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के दावों को खारिज किया, जिसमें उसने दावा किया था कि उसके जेएफ-17 लड़ाकू विमानों ने भारत के एस-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया। कुरैशी ने स्पष्ट किया कि भारत के सभी रक्षा ठिकाने और प्रणालियां सुरक्षित रहीं, और पाकिस्तान का प्रचार युद्ध पूरी तरह विफल रहा। उनकी प्रेस ब्रीफिंग ने न केवल भारत की पारदर्शिता को उजागर किया, बल्कि भारतीय सेना के आत्मविश्वास को भी प्रदर्शित किया। कुरैशी की जुड़वां बहन, शायना कुरैशी, ने सोशल मीडिया पर उनकी उपलब्धियों को प्रचारित कर राष्ट्रीय भावना को और मजबूत किया, जिससे सोफिया एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में उभरीं। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस की संयुक्त तकनीक का परिणाम है, का उपयोग सीमित और रणनीतिक रूप से किया। भारत ने अपनी रक्षा प्रणालियों, विशेष रूप से रूसी मूल की एस-400, का प्रभावी उपयोग कर पाकिस्तान की किसी भी संभावित आक्रामकता को नाकाम किया।

12 मई 2025 को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, "टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।" मोदी ने इस कार्रवाई को भारत की बहनों के सम्मान की रक्षा से जोड़ा, क्योंकि ऑपरेशन का नाम 'सिंदूर' भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि युद्धिवराम केवल सैन्य कार्रवाई को स्थगित करता है, और भारत उसकी हर गतिविधि पर नजर रखेगा। मोदी ने युद्धविराम के लिए अमेरिकी मध्यस्थता को स्वीकार करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा, "भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सम्मान से समझौता नहीं करेगा।" उनके इस संबोधन ने न केवल भारत की एकजुटता को प्रदर्शित किया, बल्कि उनकी कूटनीतिक परिपक्वता को भी रेखांकित किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतिक योजना और निष्पादन की खुलकर प्रशंसा की। 13 मई 2025 को एक टेलीविजन साक्षात्कार में उन्होंने कहा, "संकट को बहुत अच्छे ढंग से संभाला गया। ऑपरेशन सिंदूर को मैं पूरे अंक देता हूं।" थरूर ने अपने हाल के लेख में लिखी पंक्ति-"यह युद्ध का युग नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी नहीं"-को मोदी के भाषण में शामिल होने पर प्रसन्नता जताई।

विश्लेषकों का मानना है कि चीन ने इस तनाव का उपयोग भारत की रक्षा तैयारियों, विशेष रूप से एस-400 और ब्रह्मोस की तैनाती, का अध्ययन करने के लिए किया। यह रणनीति चीन के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें वह बिना प्रत्यक्ष संघर्ष के अपनी स्थिति को मजबूत करता है। तुर्क की आक्रामक बयानबाजी से भारत में बहुत आश्चर्य हुआ है। तुर्क ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और भारत के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी की। तुर्क के विदेश मंत्रालय ने 5 मई 2025 को एक बयान जारी कर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया, जिससे भारत-तुर्क संबंधों में तनाव बढ़ा है। यह तुर्क की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और पाकिस्तान के साथ गहरे संबंधों का परिणाम था। हालांकि, यह रणनीति तुर्क के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि भारत एक उभरती आर्थिक और सैन्य शक्ति है।

रूस की विश्वसनीय साझेदारी रूस ने इस संकट में भारत के साथ अपनी विश्वसनीय साझेदारी को और मजबूत किया। एस-400 और ब्रह्मोस जैसी रूसी तकनीकों ने भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाया। रूस के विदेश मंत्रालय ने 9 मई 2025 को एक बयान में आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को जायज ठहराया, जिसने भारत की स्थिति को और मजबूत किया। ईरान की अप्रत्यक्ष भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। ईरान ने बलूचिस्तान में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर दबाव बनाया। बलूच अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन देकर ईरान ने पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरियों को उजागर किया, जो भारत के लिए सामरिक लाभकारी रहा। यह भारत और ईरान के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है, विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर। अमेरिका की मध्यस्थता इस संकट का निर्णायक मोड़ साबित हुई।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई 2025 को भारत-पाकिस्तान युद्धविराम की घोषणा की और इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताया। ट्रंप ने ट्वीट किया, "भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।" हालांकि, भारत ने अपनी शर्तों पर युद्धविराम स्वीकार किया, जिसमें पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग शामिल थी। इस मध्यस्थता ने भारत के दशकों पुराने रुख-कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता अस्वीकार-को चुनौती दी। कई विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि भारत ने इस मुद्दे पर अमेरिका को मध्यस्थता की अनुमति क्यों दी। यह कदम भारत की आंतरिक राजनीति में बहस का विषय बना, क्योंकि कुछ ने इसे भारत की कूटनीतिक स्वायत्तता पर सवाल के रूप में देखा। आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका की दृष्टि से उल्लेखनीय रही। आईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के धार्मिक प्रचार को नाकाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

न्यूज 18 के मई 2025 सर्वेक्षण के अनुसार, 68ः भारतीयों ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम माना, और 72ः ने मोदी की कूटनीतिक-सैन्य रणनीति की प्रशंसा की। इंडिया टुडे के एक अन्य सर्वेक्षण में 65ः लोगों ने कहा कि मोदी का संबोधन राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाला था। यह समर्थन भाजपा के भीतर मोदी की स्थिति को और मजबूत करता है, हालांकि अमेरिका की मध्यस्थता पर कुछ असंतोष भी उभरा है। यह संकट भारत की सामरिक और कूटनीतिक ताकत को उजागर करता है, लेकिन कई सवाल अनुत्तरित हैं। अमेरिका की मध्यस्थता -भारत ने कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दे में अमेरिका को मध्यस्थता की अनुमति क्यों दी? यह भारत की कूटनीतिक स्वायत्तता पर सवाल उठाता है। युद्धविराम की घोषणा -युद्धविराम की घोषणा भारत के बजाय ट्रंप ने क्यों की? क्या यह भारत की कूटनीतिक रणनीति में चूक थी? मोदी की छवि-क्या यह कदम मोदी की अजेय छवि को प्रभावित करेगा?

हालांकि सर्वेक्षण उनके पक्ष में हैं, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि यह कदम उनकी पार्टी के भीतर असंतोष को जन्म दे सकता है। इस संकट ने पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक कमजोरियों को उजागर किया। उसकी अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही आईएमएफ के कर्ज पर निर्भर है, इस नुकसान से और कमजोर हुई। दूसरी ओर, भारत ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत को प्रदर्शित कर वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। भारत को भविष्य में कई चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे पहले, उसे अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करना होगा, विशेष रूप से चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के सामने। दूसरा, कूटनीतिक स्तर पर भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि कश्मीर जैसे मुद्दों पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को रोका जाए। तीसरा, आंतरिक स्तर पर सामाजिक एकता और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। निष्कर्षः ऑपरेशन सिंदूर और युद्धविराम ने भारत को एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। मोदी के संबोधन, थरूर के समर्थन, और जनसमर्थन ने भारत की एकजुटता को रेखांकित किया। पाकिस्तान की हार और क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिकाओं ने दक्षिण एशिया की जटिल गतिशीलता को उजागर किया। हालांकि, अमेरिका की मध्यस्थता और युद्धविराम की घोषणा से जुड़े सवाल भविष्य की कूटनीति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत को संयम और शक्ति का संतुलन बनाए रखते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना होगा।

-राजेंद्र मोहन शर्मा,
वरिष्ठ साहित्यकार,
शिक्षाविद, और चिंतक

भीलवाड़ा शहर के कई इलाकों दस दिन से जल आपूर्ति पूरी तरह ठप, लोग परेशान

भीषण गर्मी के बीच गहराने लगा जल संकट, आक्रोशित शहरवासियों ने प्रदर्शन किया

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के कई इलाकों में भीषण गर्मी के बीच गत दस दिन से जल आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि शहर की कई कॉलोनियों के लोग पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं।

शहर की सुभाष नगर, राजपूत कॉलोनी, पालड़ी रोड, देवनारायण कॉलोनी, लॉयन्स क्लब के पीछे व आसपास के क्षेत्र में लोग पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर विभाग के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना था कि जलदाय विभाग और चम्बल परियोजना के अधिकारी जिम्मेदारी लेने की बजाय एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नई पाइप लाइन बिछाने के दावों के बीच आज भी पुरानी, जर्जर पाइपों से जल

■ लोगों का कहना था कि जलदाय विभाग, चम्बल परियोजना के अधिकारी जिम्मेदारी लेने की बजाय एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं

सप्लाई की जा रही है, जो वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से अपर्याप्त है। जनता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाए तथा एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर आमजन की समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। जल संकट को देखते हुए नागरिकों ने चेताया है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।

लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाए।

राशिफल शुक्रवार 16 मई, 2025

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, मूल नक्षत्र दिन 4:08 तक, सिद्ध योग प्रातः 7:14 तक, बव करण सायं 4:38 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-वृष, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कर्क, बुध-मेष, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज चतुर्थी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 7:23 तक, लाभ अमृत 7:23 से 10:43 तक, शुभ 12:23 से 2:03 तक, चर 5:23 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:43, सूर्यास्त 7:03

मेष
व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। मित्रों/रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियों से राहत मिल सकती है। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कन्या
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ-मांगलिक कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

धनु
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कारणों से तनाव बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।